

क.मुख्या/उद्यान/2019-20/ 2397

दिनांक 08 अगस्त 2019

प्रसारण क.-1

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

जिला प्रबंधक समस्त

विषय:-दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/वानिकी/सुगन्धित रोपण सामग्रियों की दरों के अनुमोदन के संबंध में ।

निगम द्वारा दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये औषधीय/पुष्प/वानिकी/सुगन्धित रोपण सामग्रियों के रेट कान्ट्रैक्ट आफर आमंत्रित किये गये थे जिसकी प्रति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। क्षेत्रीय प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि आर सी ओ की प्रति जिला प्रबंधकों वेबसाइट से डाउनलोड करे जिससे जिला प्रबंधक प्रदायगी एवं भुगतान के संबंध में सभी निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित कर सके।

इस पत्र के माध्यम से प्रसारित दरें निगम के माध्यम से व्यवसाय के लिये हैं। यदि प्रदायकों द्वारा अन्य संस्थानों से इन दरों पर विक्रय संबंधी कोई कार्यवाही की जाती है एवं कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निगम किये गये व्ययसाय के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये अनुमोदित प्रदायक निम्नानुसार है : :

1	प्रगति इन्टरप्राइजेस, कमलागंज, ए बी रोड, शिवपुरी 9425136022	2.	शभम् औषधि रोपणी, बी-18, जयन्ती काम्प्लेक्स मढ़ताल, जबलपुर 9300112615
3	आर के इन्टर प्राइजेस, आर के हाउस नवग्रह मंदिर के पास, कमलागंज, ए बी रोड, शिवपुरी 9893610122	4	राईस एग्रो इन्फ्रा प्रा. लि, विजय नगर, इन्दौर 7000018553

उपरोक्त प्रदायकों द्वारा प्रदाय की जा रही औषधीय/पुष्प/वानिकी/सुगन्धित रोपण सामग्रियों की दरें पत्र के साथ संलग्न हैं। अनुमोदित दर जो आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगी, में निगम का 5 प्रतिशत मार्जिन सम्मिलित है, ।

रोपण सामग्री के प्रदाय संबंधी शर्तें एवं अन्य विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

1. रोपण सामग्रियों के प्रदाय आदेश क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी किये जायेंगे । जिला प्रबंधक संबंधित विभाग से मांग प्राप्त होने के पश्चात यदि केता विभाग द्वारा प्रदायक विशेष की अनुशंसा की है तो उसका उल्लेख करेंगे तथा निर्धारित प्रारूप में क्षेत्रीय प्रबंधक को मांग प्रदाय की अनुशंसा सहित भेजेंगे तथा उक्त पत्र की प्रति संबंधित विभाग को भी अनिवार्यतः भेजी जावेगी ।

- 1.1. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता के संबंध में उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान एवं संबंधित उपभोक्ता विभाग को अवगत करायेंगे ।
 - 1.2. आदेशित मात्रानुसार रोपण सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशित निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।
 - 1.3. सभी प्रदायकों एवं जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि बिना क्षेत्रीय प्रबंधक के आदेशों के कोई प्रदायगी नहीं की जावे ।
2. प्रदायक को दिये गये आदेश में उल्लेखित समय सीमा के अंदर रहते हुए प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा । विलम्ब की स्थिति में सामग्री की कल्साईनमेंट उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान अथवा संबंधित विभाग से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही मान्य किया जावेगा जिसकी लिखित स्वीकृति प्राप्त की जावेगी ।
3. यदि क्रेता विभाग द्वारा प्रदायित सामग्री के सेम्पल लेने हेतु अवगत कराया जाता है ,तो सेम्पल जिला प्रबंधक एवं सहायक संचालक, उद्यान अथवा क्रेता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा लिये जावेंगे ।
4. उद्यानिकी विभाग को प्रदाय किये जाने वाले बल्ब, पौध एवं कंद के संबंध में प्रदायकर्ता को प्रदायगी से पूर्व सामग्री का स्थल निरीक्षण जिला प्रबंधक/सहायक संचालक, उद्यान के द्वारा किये जाने के उपरांत ही प्रदायगी मान्य की जायेगी । उपरोक्त स्थिति के बिना किसी भी स्थिति में प्रदाय मान्य नहीं की जावेगी ।
5. सामग्री की अंकुरण/ परफरमेंस संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर तत्संबंधी सूचना एक माह के अन्दर भिजवाई जावे ताकि मौके पर निरीक्षण कर प्रदायक से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके । गुणवत्ता के संबंध में शिकायत प्रमाणित होने पर सीड एक्ट 1966 एवं सीड कंट्रोल आर्डर 1983 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी ।
6. प्रदायक के देयक के साथ संबंधित विभाग से सामग्री प्राप्ति /गुणवत्ता रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रदायक के देयक का 80 प्रतिशत भुगतान पश्चात भुगतान की शर्तानुसार जिला कार्यालय द्वारा किया जाएगा। प्रदायित सामग्री के प्रदाय के 4 माह के अन्दर उप संचालक/सहायक संचालक, उद्यान के संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जावे । यदि प्रदाय के 4 माह के पश्चात भी विभाग से संतुष्टि प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि सामग्री की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत नहीं है एवं तत्पश्चात् प्रदायक को उनके देयक का शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जावे । प्रदायक को अनुबंध एवं रेट कान्ट्रैक्ट आफर्स में वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ति तथा विभाग से पूर्ण राशि एवं संतुष्टि प्राप्त होने के पश्चात भुगतान जिला स्तर से किया जावेगा ।
7. रोपण सामग्री निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के अनुरूप हो एवं बीजों की पैकिंग सीड एक्ट/सीड कंट्रोल एक्ट आर्डर एवं सीड सर्टिफिकेशन के अनुसार ही हो ना चाहिये । गुणवत्ता एवं मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये गई रोपण सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाए ।
8. प्रदायकों से जिस प्रारूप में अनुबंध कराया गया है एवं आर.सी.ओ. दस्तावेज की प्रति क्षेत्रीय प्रबंधक को अवलोकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है, वे जिला प्रबंधकों को मासिक बैठक में इसकी प्रति उपलब्ध करायेंगे ।




9. क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक, तदनुसार समय-समय पर प्रदायित सामग्री की गुणवत्ता /फरफरमेंस के संबंध में समीक्षा करते रहेंगे एवं साथ ही स्थानीय बाजार में सामग्री की दरों की जानकारी प्राप्त करेंगे । यदि बाजार दर एवं निगम दर में अंतर परिलक्षित होता है तो क्षेत्रीय प्रबंधक तत्काल मुख्यालय को अवगत करायेंगे तथा साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निगम की अनुमोदित प्रदायकों द्वारा यदि उनके क्षेत्र में अनुमोदित दर से कम दरों पर सामग्री का प्रदाय उद्यानिकी एवं अन्य विभागों को किया जा रहा है तो उसकी विस्तृत जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।


10. प्रदाय की शेष शर्तें निष्पादित अनुबंध एवं आरसीओ के अनुसार यथावत् रहेंगी । इस अनुमोदन प्रसारण की तिथि से पूर्व में जारी औषधीय/पुष्प/वानिकी /सुगन्धित रोपण सामग्रियों की दरों को निरस्त किया जाता है ।

प्रतिलिपि:-

2398
68-8-19

1. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विन्ध्याचल भवन, भोपाल.
2. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यान (समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
3. जिला प्रबंधक समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. लेखा शाखा/आडिट कक्ष, मुख्यालय ,भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
5. मे.-----


उपमहाप्रबंधक (उद्यान)
8/8/19


उपमहाप्रबंधक (उद्यान)
8/8/19

औषधीय/पुष्प/वानिकी की अनुमोदित दरें
दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये

प्रदायक का नाम : मेसर्स शुभम औषधी रोपणी
जबलपुर

क्रं	सामग्री का नाम	ईकाई	अनुमोदित विक्रय दर 5 निगम मार्जिन सहित रूपये में
1	Gaillardia	KG.	1338.26
2	Mary Gold	KG.	1577.4
3	chrysanthemum	KG.	1980
4	Isabgol	KG.	84.7
5	Ashwagandha	KG.	101.64
6	Sanay	KG.	84.7
7	Akarkara	KG.	380.00
8	Satavari	KG.	416.24
9	Baheda	KG.	28.6
10	Ajwain	KG.	308
11	Konch (Kavach)	KG.	121
12	Babool Deshi	KG.	39.00
13	Loosarn	KG.	41.00
14	Kalasisiris	KG.	143.00
15	Kadam	KG.	396
16	Kachnar	KG.	180.00
17	Gulmohar	KG.	132
18	Ashok Pendula	KG.	152
19	Neem	KG.	63.00
20	Carnation	KG.	1760
21	Estar	KG.	2200
22	Mahua	KG.	71.5
23	Tusli	KG.	578.38
24	Arjun	KG.	35.2
25	Rosha grass	KG.	231
26	Dhencha	KG.	55
27	Sunhemp	KG.	22
28	Stylo Hamata	KG.	99
29	Berseem	KG.	220

Handwritten signature

कं	सामग्री का नाम	ईकाई	अनुमोदित विक्रय दर 5 निगम मार्जिन सहित रूपये में
30	Gulab Hybrid badded	NO	16.94
31	Lemon Grass	NO	3.3
32	BambooSada	NO	2.75
33	Bamboo Katanga	NO	3.50
34	Gerbera Single	NO	4.24
35	Stevia	NO	3.3
36	Tube Rose Single	NO	0.11
37	Tube Rose Double	NO	0.17
38	Gulab Local Hedrabadi	NO	6.05
39	Lily	NO	0.52
40	Jasmine Mogra	NO	17.50
41	Gwarpatha	NO	3.3

U. K. Purohit
(डी.के.पुराणिक) 13/8/19
उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

औषधीय/पुष्प/वानिकी की अनुमोदित दरें
दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये

प्रदायक का नाम : मेसर्स राईस एग्रो इन्फ्रा प्रा. लि.
इन्दौर

क्रं	सामग्री का नाम	ईकाई	अनुमोदित विक्रय दर 5 निगम मार्जिन सहित रूपये में
1	Isabgol	KG.	84.7
2	Ashwagandha	KG.	101.64
3	Ajwain	KG.	308
4	Babool Deshi	KG.	39
5	Gulmohar	KG.	132
6	Mahua	KG.	71.5
7	Tusli	KG.	578.38
8	Dhencha	KG.	55
9	Berseem	KG.	220
10	Lemon Grass	NO	3.3

D. K. P. Singh
(डी.के.पुराणिक) 13/8/19
उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

औषधीय/पुष्प/वानिकी की अनुमोदित दरें

दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये

प्रदायक का नाम

मेसर्स प्रगति इन्टरप्राइजेस

शिवपुरी

क्रं	सामग्री का नाम	ईकाई	अनुमोदित विक्रय दर 5 निगम मार्जिन सहित रूपये में
1	Gaillardia	KG.	1338.26
2	Mary Gold	KG.	1577.4
3	chrysanthemum	KG.	1980
4	Isabgol	KG.	84.7
5	Ashwagandha	KG.	101.64
6	Sanay	KG.	84.7
7	Satavari	KG.	416.24
8	Ajwain	KG.	308
9	Carnation	KG.	1760
10	Estar	KG.	2200
11	Tusli	KG.	578.38
12	Rosha grass	KG.	231
13	Dhencha	KG.	55
14	Stylo Hamata	KG.	99
15	Berseem	KG.	220
16	Gulab Hybrid badded	NO	16.94
17	Lemon Grass	NO	3.3
18	BambooSada	NO	2.75
19	Bamboo Katanga	NO	3.5
20	Gerbera Single	NO	4.24
21	Stevia	NO	3.3
22	Gulab Local Hedrabadi	NO	6.05
23	Lily	NO	0.52
24	Jasmine Mogra	NO	17.5
25	Gwarpatha	NO	3.3

(Handwritten Signature)
(डी.के.पुराणिक)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

13/8/19

औषधीय/पुष्प/वानिकी की अनुमोदित दरें

दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये

प्रदायक का नाम

मेसर्स आर के इन्टरप्राइजेस
शिवपुरी

कं	सामग्री का नाम	ईकाई	अनुमोदित विक्रय दर 5 निगम मार्जिन सहित रूपये में
1	Gaillardia	KG.	1338.26
2	Mary Gold	KG.	1577.4
3	Isabgol	KG.	84.7
4	Ashwagandha	KG.	101.64
5	Ajwain	KG.	308
6	Tusli	KG.	578.38
7	Dhencha	KG.	55
8	Stylo Hamata	KG.	99
9	Berseem	KG.	220
10	Gulab Hybrid badded	NO	16.94
11	Gulab Local Hedrabadi	NO	6.05

D. K. Puri
(डी.के.पुराणिक) 13/8/19
उपमहाप्रबंधक (उद्यान)